हुक्म	
13-6-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4-7-19 को पेश हो। रीडर
4-7-19	वकील उभयपक्ष उप0। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि0 5-7-19 को पेश हो।
5-7-19	वकील उभयपक्ष उप0। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि0 8-7-19 को पेश हो।
8-7-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-7-19 को पेश हो। रीडर
11-7-19	वकील उभयपक्ष उप0। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि0 18-7-19 को पेश हो।
18-7-19	वकील उभयपक्ष उप0 है। वादी एवं प्रतिवादीगण उप0 है। पक्षकारों ने भूमि ख0 न0 29, 31, 34, 35 ग्राम टटवाड़ा का सीमाज्ञान करवाकर मुकदमा खत्म करने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस प्रा0 पत्र के अनुसार दावा निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रा0 में शामिल किया गया। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार तलावड़ा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(बायाँ हाशिया:) ह0 [illegible] / नि0 वादी / विजय कंवर [illegible] / नि0 [illegible] / पृथ्वीराज / [illegible] / 18-7-19

मुख्य न्यायालय श्री [illegible]
कलक्टर एवं उप जिला[illegible]
[illegible] नम्बर
/2018
[illegible]लाल पुत्र कन्हैया, न[illegible]
[illegible]दी पत्नी लड्डूलाल,
विजय कंवर पुत्र लड्[illegible]
[illegible]लता पत्नी विजय क[illegible]
पृथ्वीराज पुत्र लड्डूल[illegible]
[illegible]स्थित :—श्री मोहम्मद
श्री तरुण श[illegible]
वादी ने वादपत्र
[illegible] काश्त की भू[illegible]
खसरा 34 रकबा
[illegible] गंगापुर सिटी
[illegible] की खातेदारी भू[illegible]
[illegible] है परन्तु वादी की
[illegible] भूमि पर कब[illegible]
[illegible] के बगल [illegible]
[illegible] को जबर्दस[illegible]
[illegible] किया तो प्रति[illegible]
[illegible] प्रस्तुत कर[illegible]
[illegible] जाकर प्रतिव[illegible]
[illegible] की खातेदारी
[illegible] खसरा 3[illegible]

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2018	16.7.2018	18.7.2019

[illegible] पुत्र कन्हैया, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. [illegible] पत्नी लड्डूलाल, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. [illegible] कंवर पुत्र लड्डूलाल, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. [illegible] पत्नी विजय कंवर, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
4. [illegible] पुत्र लड्डूलाल, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 29 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 31 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 34 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 35 रकबा 0.14 है0 ग्राम टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जिसे वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु वादी की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। वादी की खातेदारी की भूमि हाल [illegible] के बगल में ही प्रतिवादीगण की भूमि है। प्रतिवादीगण ने दिनांक [illegible] को जबर्दस्ती ट्रेक्टर से ख0नं0 31 की डौल को तोड दिया। वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण वादी को जान से मारने को आमादा हो गए। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री [illegible] जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की खातेदारी की भूमि ख0नं0 29 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 31 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 34 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 35 रकबा 0.14 है0 ग्राम टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं बाधा पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा वादी के खेतों की डौल मेड को नहीं तोडें और ना ही वादी को बेदखल करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने वादपत्र का जबाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि जबाबदार सं0 2 व 4 की मिलक कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर जबाबदारान संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। जबाबदारान की अन्य भूमि ख0नं0 31 से सटवा होना स्वीकार है। अतः जबाब दावा का काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वह घोषित फरमाया जावे कि ख0नं0 29 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 31 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 34 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 35 रकबा 0.14 है0 ग्राम टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी के प्रतिवादीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं व उसी अनुसार सरकारी कागजात में दुरूस्ती फरमाई जावे व वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जावे। वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह उपरोक्त भूमि में प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 प्रस्तुत की है।

काउन्टर क्लेम के समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

दिनांक 2.5.2019 को वादी एवं प्रतिवादीगण ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी श्यामलाल पुत्र कन्हैया जाति नाई निवासी टटवाडा की खातेदारी की भूमि हाल ख0नं0 29, 31, 34, 35 ग्राम टटवाडा में स्थित है। पांच आदमियों ने दोनों ही पक्षो में राजीनामा करवा दिया है कि दोनों ही पक्षों का सीमाज्ञान करवाकर मुकदमे खतम कर दिये जावें। भूमि अभी तक खाली पडी हुई है इसलिए हलका पटवारी व गिरदावर की टीम गठित कर भूमि ख0नं0 29, 31, 34, 35 ग्राम टटवाडा का सीमाज्ञान करने का आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिया जावे।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। दोनों ही पक्ष वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहते हैं, इस हेतु उभयपक्ष ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसलिए वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान कराने के आदेश दिया जाकर मुकदमे का निर्णय किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त मुकदमे में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि ख0नं0 29 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 31 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 34 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 35 रकबा 0.14 है0 ग्राम टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी का सीमाज्ञान कराने हेतु नायब तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वे हलका गिरदावर व पटवारी की टीम गठित कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करा देवें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पालना हेतु नायब तहसीलदार तलावडा को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

ब अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

[illegible] पुत्र कन्हैया, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. [illegible] पत्नी लड्डूलाल, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. विजय कंवर पुत्र लड्डूलाल, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. [illegible] पत्नी विजय कंवर, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
4. [illegible] पुत्र लड्डूलाल, नाई निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –67/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री [illegible], एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त मुकदमे में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि ख0नं0 29 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 [illegible] रकबा 0.14 है0, ख0नं0 34 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 35 रकबा 0.14 है0 ग्राम टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी का सीमाज्ञान कराने हेतु नायब तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वे हलका गिरदावर व पटवारी की टीम गठित कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करा देवें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पालना हेतु नायब तहसीलदार तलावडा को लिखा जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.7.2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.20 11:05:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: